भारतीय नागरिकों को विदेश प्रवास / विदेश यात्रा हेतु

आवश्यक दस्तावेज

1. मूल दस्तावेज जो प्रमाणित कराया जा रहा है।
2. मूल दस्तावेज की फोटोप्रति।
3. जिसके दस्तावेज हैं उसके पासपोर्ट की फोटो प्रति।
4. जिसके दस्तावेज हैं वह स्वयं या उसके परिवार के निकटतम सदस्य ही आवे।
5. 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (प्रारूप संलग्न)।

AFFIDAVIT

I, --------------- s/o-------------- aged ------- years, R/o ----------- do here by state on oath as under :-

1. That the following documents which I am submitting before the Attesting Authority for verification with the photocopy thereof are the original genuine and untempered documents signed by the competent authority of person :-

   DOCUMENTS :-
   (i) ----------------------
   (ii) ----------------------
2. That ----------------- in whose favouring above document stand are -----------
3. That the above documents are required to be sent to ------------- for bonafide purpose for --------

DEPONENT

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 3 are true and correct to my personal knowledge. Nothing has been concealed.

DEPONENT

Noteri Attested

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक : प.9(21)गृह–3/75 जयपुर, दिनांक : 24 मार्च, 2008

--: परिपत्र :–

भारतीय नागरिकों को विदेश प्रवास/विदेश यात्रा के लिये कुछ जरूरी दस्तावेजों के अधिप्रमाणन किये जाने के लिये इस विभाग के समराख्यक परिपत्र दिनांक 08–03–2006 (प्रति संलग्न) के द्वारा व्यवस्था प्रतिपादित की गयी थी। विगत दिनों में कई प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन अग्रेषित नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त कतिपय मामलों, जैसे विवाह पंजीयन में व्यवस्थात्मक परिवर्तन होने के कारण प्रमाण बाबत स्थिति में भी परिवर्तन हो गया है, एवं कुछ अन्य दस्तावेज/प्रमाण–पत्रों का अधिप्रमाणन भी चाहा जा रहा है, जो कि पूर्व परिपत्र दिनांक 08–03–2006 में सम्मिलित नहीं थे। अपूर्ण या निर्धारित प्रक्रिया से भिन्न प्रकार से आवेदन प्रस्तुत होने पर आवेदक को कठिनाई झेलनी पड़ती है एवं राज्य सरकार की छवि दुष्प्रभावित होती है। अतः उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था हेतु निर्देशानुसार पूर्व निर्धारित प्रपत्रों को संशोधित करते हुए निम्नानुसार प्रपत्र एवं अधिप्रमाणन व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

1. उक्त प्रमाण–पत्रों का अधिप्रमाणन करते समय अधिकृत अधिकारी द्वारा अपना नाम, पद तथा फोन नम्बर स्पष्ट रूप से प्रमाण–पत्र में अंकित किया जाये।
2. नगर निगम/नगरपालिका/पंचायत के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी जन्म/मृत्यु प्रमाण–पत्र को संलग्न प्रपत्र–1 में आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका/नगर निगम/जिला परिषद द्वारा अधिप्रमाणित किया जाये।
3. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्रों को संलग्न प्रपत्र–2 में सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/नगर निगम/आयुक्त, नगर पालिका द्वारा अधिप्रमाणित किया जाये।
4. जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण–पत्र को अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट द्वारा संलग्न प्रपत्र–3 में अधिप्रमाणित किया जाये।
5. जन्म/मृत्यु/विवाह से सम्बन्धित शपथ–पत्र को संलग्न प्रपत्र–4 में अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणित किया जाये।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड को संलग्न प्रपत्र–5 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/जिला रसद अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणन किया जाये।
7. उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र, पॉवर ऑफ अटार्नी, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं बीमा के प्रार्थना पत्र को संलग्न प्रपत्र क्रमशः प्रपत्र–6, प्रपत्र–7, प्रपत्र–8 एवं प्रपत्र–10 में अतिरिक्त कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणन किया जाये।
8. चरित्र सत्यापन को संलग्न प्रपत्र–9 में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिप्रमाणन किया जाये।

यह भी उल्लेखनीय है कि जो प्रमाण–पत्र शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा/सेवा से सम्बन्धित है, को सम्बन्धित विभाग के अधिकृत अधिकारी (उप शासन सचिव स्तर) के द्वारा प्रमाणित किये जाने पर ही गृह विभाग के स्तर से अधिप्रमाणन किया जा सकेगा।

जारी किया जाय

आज्ञा से,
(सीमा सिंह)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं सभी सम्बन्धित को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त जिला मजिस्ट्रेट्स, राजस्थान।
10. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।

उप शासन सचिव

तालिका

प्रमाण–पत्र	अग्रेषण–पत्र बाबत प्रपत्र	क्षेत्र	अधिप्रमाणन अधिकारी
1. जन्म/मृत्यु प्रगाण–पत्र	*प्रपत्र–1*	नगरीय क्षेत्र में	आयुक्त/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर निगम
		ग्रामीण क्षेत्र में	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
2. विवाह प्रमाण–पत्र	*प्रपत्र–2*	नगरीय क्षेत्र में	आयुक्त/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर निगम
		ग्रामीण क्षेत्र में	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
3. मूल निवास प्रमाण–पत्र	*प्रपत्र–3*	नगरीय क्षेत्र में	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
		ग्रामीण क्षेत्र में	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
4. जन्म/मृत्यु /विवाह से सम्बन्धित शपथ–पत्र	*प्रपत्र–4*	नगरीय क्षेत्र में	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
		ग्रामीण क्षेत्र में	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
5. राशन कार्ड	*प्रपत्र–5*	नगरीय क्षेत्र में	जिला रसद अधिकारी
		ग्रामीण क्षेत्र में	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
6. उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र	*प्रपत्र–6*	नगरीय क्षेत्र में	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
		ग्रामीण क्षेत्र में	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
7. पावर ऑफ अटार्नी	*प्रपत्र–7*	नगरीय क्षेत्र में	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
		ग्रामीण क्षेत्र में	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
8. अनापत्ति प्रमाण–पत्र	*प्रपत्र–8*	नगरीय क्षेत्र में	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
		ग्रामीण क्षेत्र में	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
9. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन बाबत प्रमाण–पत्र	*प्रपत्र–9*	नगरीय क्षेत्र में	जिला पुलिस अधीक्षक
		ग्रामीण क्षेत्र में	जिला पुलिस अधीक्षक
10. बीमा के प्रार्थना–पत्र	*प्रपत्र–10*	नगरीय क्षेत्र में	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
		ग्रामीण क्षेत्र में	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट